लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स राणा इंटरप्राइजेज, प्रो0–श्री राणा सौरभ, पिता–श्री राणा उदय प्रताप सिंह, ग्राम–करसा कोठी, पोस्ट+थाना–बिक्रम, जिला– पटना सोन क्लस्टर–11 (सोन–11,12,13 और 14) बालू घाट मौजा–कब, लहलादपुर, जनपारा I , जनपारा II , अंचल–बिक्रम और दुल्हिन बाजार, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 09.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड कार्यालय, बिक्रम, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2064/2022, dated 12.01.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 09.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड कार्यालय, बिक्रम, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (500 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः—

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री राहुल कुमार, ग्राम—जनपारा, जिला—पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के तटपर वृक्षारोपन किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि 500 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है यह बढ़ाया भी जा सकता है। इस परियोजना में पेड़ के रख—रखाव के लिए 02 माली स्थानीय निवासी को रखा जायेगा।
2.	श्री रबीन्द्र सिंह, ग्राम—लहलादपुर, जिला—पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्कूल के खुलने एवं बंद होने के समय रोड पर आधा घंटा ट्रक के आवागमन को रोक दिया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि आपके इस प्रस्ताव को हम नोट कर लिये है और सक्षम पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित कराया जायेगा। दिन में 02 बार जल—छिड़काव किया जायेगा।
3.	श्री मनोज कुमार, ग्राम—जनपारा, जिला—पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में पेय—जल का दिक्कत है। ट्रक—ट्रेक्टर चलने से धूल उड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय—समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल

		से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पेय–जल PHED द्वारा आपूर्त्ति किया जाता है। अगर उनके पास राशि नहीं होगी, तो औचित्य रहने पर हमलोग योजना (मिशन कायाकल्प) से पेय–जल उपलब्ध करायेंगे।
4.	श्री धमेंद्र कुमार, ग्राम–जनपारा, जिला–पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
5.	श्री राजू सिंह, ग्राम–काब, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

ग्रामीण लोग गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें।जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

13-6-23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

13/6/23
अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स राणा इंटरप्राइजेज, प्रो०-श्री राणा सौरभ द्वारा क्लस्टर सोन-11 (सोन-11,12,13 और 14) बालू घाट, मौजा-कब, लहलादपुर, जनपारा-I, जनपारा-II, अंचल-बिक्रम और दुल्हिन बाजार, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान-प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रम दिनांक 09.06.2023 समय-11:00 A.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अभिनाश मिश्रा	अपर जिला खनिज पदाधिकारी	9/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना	9-6-23
3.	प्रवीण अनुरंजन	अंचल अधिकारी, बिक्रम	9/6/23
4.	नीतिश कुमार	P & M Solution Raja Bazar, Patna	Nitish
5.	भोला रजक	रघुपुरा	भोला रजक
6.	Santosh Kumar	Sadaisop	Santosh Kumar
7.	बैजू पासवान	डेरापुर	बैजू पासवान
8.	मनोज कुमार	डेरपुरा	मनोज कुमार
9.	दीनानाथ ठाकुर	दाउदपुर	दीनानाथ ठाकुर
10.	राहुल कुमार	जनपारा	Rahul Singh
11.	आशा नारायण	तिलकपुरा	Ash

12.	Manu Kumar	Parkhamapura	Manu Kumar
13.	[illegible]	Janpara	[illegible]
14.	Manoj	Janpara	Manoj
15.	Deepu Kumar	LAT	Deepu Kr
16.	Ram Dhar	[illegible]	[illegible]
17.	रघुबिन्द सिंह	[illegible]	Raghubind Singh
18.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	Ravi Shankar yadav	Lahladpur	Rai Shankar
21.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
22.	धनंजय कुमार	[illegible]	dhanajay Kumar
23.	अमेया कुमारी	स्थान निरीक्षक	Ameya Kr 09/06/'23
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	Asgar ali	Adaphlpura	Alli
26.			